—

न्यायालय— सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला— पाली (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्रीमती राजलक्ष्मी गेहलोत (R.A.S.)
राजस्व वि0 प्रकरण सं0—33/2019
निर्णय दिनांकः— 31/07/2020

प्रार्थी

सोनाराम पुत्र श्री गेनाराम जाति—मीना उम्र—52 वर्ष निवासी—मीणो का झूपा, रणकपुर रोडा, सादडी

अप्रार्थी

नगर पालिका, सादडी

प्रार्थना पत्र अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—क की उपधारा (1)

उपस्थिति—

प्रार्थी सोनाराम उपस्थित।
अप्रार्थी की ओर वकील मुकेश सुधार उपस्थित।

—: निर्णय :— **दिनांक—31/07/2020**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा— 251—ए अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कस्बा सादडी—2 पटवार हल्का सादडी—2 तहसील—देसूरी, जिला—पाली में हमारी सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि नये खसरा नम्बर—6557 रकबा 1.42 हैक्टर किस्म नहरी दोयम की विद्यमान हैं उक्त भूमि में आवागमन हेतु आम रास्ते के रूप में पडौसी खसरा नम्बर 6555/6593 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म—नहरी दोयम, में से होकर खसरा नम्बर 6546 किस्म गै.मु रास्ता से मिलता है जो हमारा आवागमन का कदीमी रास्ता हैं हम विगत पीढीयों से उक्त वर्णित खसरा नम्बर 6555/6593 को रास्ते के रूप में उपयोग—उपभोग लेते आ रहे है। जो राजस्व रिकोर्ड में रास्ता दर्ज नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 6555/6593 में से रास्ता को राजस्व रिकोर्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया अप्रार्थी नगर पालिका, सादडी ने जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने नगरपालिका सादडी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 6555/6593 रकबा 0.22 हैक्टर में से रास्ते की भूमि हेतु आवेदन किया है। पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उक्त खसरे से आवागमन हेतु रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा हैं। प्रार्थी द्वारा चाही गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रास्ते की भूमि की राशि नियमानुसार नगरपालिका सादडी कोष में जमा कराये जाने पर नगरपालिका नियमानुसार रास्ते की भूमि का समर्पण करने हेतु सहमत है। प्रार्थी को नियमानुसार रासते की भूमि सार्वजनिक उपयेाग हेतु देने पर नगर पालिका सहमत है।

मौके की जांच रिर्पोट तहसीलदार, देसूरी से मंगवाई गई। तहसीलदार, देसूरी द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/20/722 दिनांक– 31/07/2020 के अपनी जांच रिर्पोट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार, देसूरी की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 6557 में वर्तमान में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 6555/6593 में से आना जाना होता है। इसके अलावा अन्य कोई इस खातेदारी में जाने हेतु नजदीक रास्ता नही है। मौके पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि पडत है। खसरा नम्बर 6555/6593 जिसमें से होकर रास्ता चाहा गया है, यह भूमि नगरपालिका सादडी को हस्तान्तरण हो गई है। प्रस्तावित रासते के लिए खसरा नम्बर 6555/6593 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.04 हैक्अर यानि (ल×चौ) 80×5=400 वर्गमीटर क्षेत्रफल प्रभावित होगा। यह है कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कोई पेड वगैरह नही है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। रास्ता के लिए प्रस्तावित भूमि की बाजार दर (डी.एल.सी) 1262430/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध्य साक्ष्य का एवं तहसीलदार, देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन कर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आने जाने का कोई रास्ता नही है जिससे तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा अपनी जांच रिर्पोट मे प्रस्तावित रास्ता मौजा सरहद कस्बा सादडी–2 में नगरपालिक, सादडी की भूमि खसरा नम्बर 6555/6593 में से दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः

–: आदेश :–

प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए अभिधृति अधिनियम अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा सरहद

कस्बा सादडी–2 में प्रार्थी की खातेदारी अ... जी के खसरा नम्बर–6557 रकबा 1.42 हैक्टर किस्म नहरी ... कस्बा सादडी–2 मे स्थित नगर पालिका सादडी–2 भूमि नम्बर 6555/6593 किस्म बारानी भूमि में से 80 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल 400 वर्गमीटर (नक्शा ट्रेस में दर्शित बैरंग लाल) भूमि नये रास्ता का अधिकार मंजूर किया जाता है एवं तहसीलदार, देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

की रिर्पोट अनुसार इस कृषि भूमि की बाजार दर रूपयां— 1262430/— प्रति हैक्टर की दर है।

देय प्रतिकर राशि :—

	डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि रू.	डी.एल.सी. दर के अनुसार देय दुगुनी राशि
400 वर्ग मीटर भू—भाग के लिए 126.24 रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से।	**50497.2/—**	**100994.4/—**

इस प्रकार प्रार्थी से कुल देय प्रतिकर राशि रूपये 100994.4/— अक्षरे एक लाख नौ सौ चौरानबे रूपयें वसूल देय होगें। जो उक्त प्रतिकर राशि प्रार्थी राज कोष मे जमा करावे, जो राशि प्रतिकर स्वरूप इसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 नगर पालिका, सादडी प्राप्त करेगे। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रतिकर राशि जमा कराने के पश्चात् उक्त भूमि खसरा नम्बर 6555/6593 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर यानि (ल×चौ) 80×5=400 वर्गमीटर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज की जावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता होगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार, देसूरी को तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:49 IST
Reason: SelfAttested